

रहमत सिंह बनाम गुरजन्त सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 15 सन् 2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/ ~~15~~ 56

तामिल
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिल
में जारी हुए

02.12.2024

अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि मूलवाद के निर्णय तक चक 46 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 33/30, 58/51, 77/73, 90/83, 105/57, 104/37 एवं चक 45 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 38/34 में अप्रार्थी संख्या 1 गुरजन्त सिंह पुत्र वचित्र सिंह व अप्रार्थी संख्या 2 गुरविन्द्र सिंह पुत्र गुरजन्त सिंह के नाम दर्ज कुल 7.847 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण विधिक बिन्दुओं एवं मिथ्या कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत होने के कारण खारिज योग्य है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनना प्रतीत होते हैं। अतः प्रार्थीगण/वादीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे 46 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 33/30, 58/51, 77/73, 90/83, 105/57, 104/37 एवं चक 45 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 38/34 में अप्रार्थी संख्या 1 गुरजन्त सिंह पुत्र वचित्र सिंह व अप्रार्थी संख्या 2 गुरविन्द्र सिंह पुत्र गुरजन्त सिंह के नाम दर्ज कुल 7.847 हेक्टेयर भूमि ताफैसला वाद प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।



Handwritten signature and text: श्री करणपुर (राजस्थान)